FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अदालत बायतु मुकाम

तहसीलदार बायतु बनाम मंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 131/132 नं. 86 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.3.17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री तहसीलदार बायतु ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 131, 132 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.04.2017 को पेश हो।	145 / 6/4/17
12.4.17	पेशकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाड़मेर मिटिंग में पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/04/2017 को पेश हो।	
27/04/17	पेशकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेशकार तहसीलदार बायतु की एकपक्षीय बहस सुनी गई, तहसीलदार बायतु ने बहस की उपर्युक्त रास्ता जो बायतु नोखा	

Scanned by CamScanner

सड़क से नेपोली सड़कों की नाली नदी के नाम से जाना जाता है। अत्यन्त कदीम होकर सार्वजनिक हित से सम्बन्धित है तदनुसार रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना अति आवश्यक है ताकि रास्ता कदीम निर्बाध रूप से उपभोग में रहे। उपर्युक्त रास्ते की किस्म बिला नाप रास्ता / गैर मुमकिन रास्ता ENX-1 अनुसार अमलदरामद विधि एवं नियमानुसार किये जाने हेतु अनुशंषा की गई।

अतः तहसीलदार बाप की अनुशंषा अनुसार उक्त रास्ते का रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पूर्व तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली मौसल कुमार दे दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक : राजस्व / 2016–17 / 611 दिनांक : 27.04.2017

राजस्व आवेदन संख्या – 86 / 2017

–:: आदेश ::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12( )(1)राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10.10.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **राजस्व ग्राम सउओं की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु** की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के अनुसार निम्नांकित खातेदारी की भूमि दर्ज है लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार बायतु द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांकः प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम, 1957 के नियम 60(एच) के तहत **राजस्व ग्राम सउओं की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु** की निम्नांकित खातेदारी की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क. सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	मगाराम मोड़ाराम नन्दराम गिरधारी सालुराम पि. रूपाराम	474/190	55.04	बा.दो.	01.03	गै.मु.रास्ता
2	मंगलाराम पुत्र मगाराम	472/189	94.17	बा.दो.	01.12	गै.मु.रास्ता
3	उर्जाराम वल्द पुराराम हेमीदेवी बेवा पूराराम देराजराम गोरधनराम पि. पेमाराम	473/189	60	बा.दो.	00.19	गै.मु.रास्ता

(हेमाराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला - बाड़मेर

कमांक : राजस्व / 2016–17 / 612 to 615 दिनांक 27.04.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर।
2. तहसीलदार बायतु।
3. भू–अभिलेख निरीक्षक नगोणी धतरवालों की ढाणी।
4. हल्का पटवारी पटवार मण्डल सेवनियाला।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner